

राज्य के नीति निर्देशक तत्व Directive Principles of State Policy

राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। डॉ. मि. मीम-राय अम्बेडकर ने इन तत्वों को "विशेषता" वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ-निर्देशक तत्व-संविधान की आत्मा एवं हार्डिन वें ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को 'संविधान की मूल आत्मा' कहा है।

निर्देशक तत्वों की विशेषताएँ

1. 'राज्य की नीति के निर्देशक तत्व', नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को उभाकी बनाने समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश

या विधायिका कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के विरुद्ध सिफारिशें हैं अनुच्छेद 36 के अन्तर्गत भाग 4 में "राज्य" शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से सम्बंधित भाग 3 में है।

(ii) निदेशक तन्त्र भारत शासन अधिनियम, 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान हैं डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के शब्दों में निदेशक तन्त्र अनुदेशों के समान हैं जो भारत शासन अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कालोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे जिसे निदेशक तन्त्र कहा जाता है। वह इन अनुदेशों का ही दूसरा नाम है इनमें केवल 'मूल और' है कि निदेशक तन्त्र विधायिका और कार्यपालिका के विरुद्ध अनुदेश हैं।

(iii) आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक

विषयों में निर्देशक तन्त्र महत्वपूर्ण है
 इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आर्थिक,
 स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना
 है जैसा कि संविधान की प्रस्तावना
 में परिलक्षित है इनका उद्देश्य
 लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण
 है न कि 'पुलिस राज्य' अतः
 राज्य के निर्दिष्ट निर्देशक तन्त्र का
 उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक
 लोककल्याण की स्थापना करना ही
 इनका मुख्य उद्देश्य है

(iv) निर्देशक तन्त्रों की प्रकृति और
 न्यायोचित है यानी की उनके लागू
 पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं
 कराया जा सकता। अतः सरकार
 उन्हें लागू करने के लिए बाध्य
 नहीं है अनुरोध उन के में धार
 गया है निर्देशक तन्त्र देश के
 शासन में मूलभूत है और विधि
 बनाने में इन तन्त्रों को लागू करना
 राज्य का कर्तव्य होगा

Dr. Khushboo